296 (1) संसद से लोक उद्यमों से संबंधित प्रश्नों को स्वीकार किया जाना

सरकार सरकारी उपक्रमों की स्वायत्ता बढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में, संसद में लोक उद्यमों से संबंधित प्रश्नों के स्वीकार किए जाने से संबंधित कुछ पहलुओं पर विचार कर रही है। यह विचार किया गया कि संसद में चर्चा के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे लोक उद्यम की स्वायत्ता का अधिक्रमण हो या लोक उद्यमों द्वारा पहल किए जाने में बाधा पड़े।

2. वर्तमान में, प्रश्नों को अस्वीकृत किए जाने के संबंध में लोक सभा सचिवालय के तारीख 17 मार्च, 1958 के कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट सिद्धांत लागू होते हैं। इस कार्यालय ज्ञापन में यह कहा गया है कि निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न अस्वीकृत किए जाने चाहिएः–

(1) लोक उद्यमों के रोजमर्रा के प्रशासन से संबंधित प्रश्न;

(2) ऐसे प्रश्न, जो मंत्रालयों और उद्यमों को ऐसे कार्य सौंपने से संबंधित हैं, जो उनसे प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं हैं।

(3) ऐसे प्रश्न जिनके संबंध में आवश्यक जानकारी माननीय संसद सदस्य लोक उद्यमों के प्रबंधकों से सीधे प्राप्त कर सके हैं।

ये सिद्धांत लागू रहेंगे। लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों द्वारा यह भी सहमति दी गई है कि पिछले या मौजूदा सत्रों में पूछे गए समान या उनसे मिलते–जुलते प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए और यदि प्रश्नों के लिए ऐसे आंकड़ों की आवश्यकता हो, जो सामान्यतः प्रकाशित दस्तावेजों या वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध हैं तो वे भी सामान्यतः स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

3. सरकार ने अब निर्णय लिया है कि यदि भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग यह महसूस करते हैं उक्त बातों के मद्देनजर यदि कोई विशेष प्रश्न ग्राह्य नहीं हैं तो, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त करने के 48 घंटे के भीतर संबद्ध मंत्रालय/विभाग के मंत्री यथास्थिति लोक सभा/राज्य सभा के अध्यक्ष को इस संबंध में अनुमति न देने की सूचना देंगे। यदि इन सभी प्रयासों के बावजूद, जिस प्रश्न को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था उसे शामिल कर लिया जाता है तो मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देते समय यह कह सकता है कि यह प्रश्न लोक उद्यमों के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों के दायरे में आता है या सूचना प्राप्त करने संबंधित कार्य तथा उनसे प्राप्त किए जाने वाले परिणामों की तुलना करते हुए स्थिति स्पष्ट कर सकता है या यह कह सकता है इसके समान या इससे काफी मिलते–जुलते प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

4. सरकार के इन निर्णयों के बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों को, सूचनार्थ मार्गदर्शन के लिए, सूचित किया जाता है।

(बी पी ई का 4 जून, 1969 का का.ज्ञा.सं. 2(35)/68–बी पी ई (जीएम)